रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 1979/फाल्गुन 15, 1900
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 1979/PHALGUNA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate *compilation*

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1979

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 16-आई.टी.सी.(पी.एन.)/79

विषय :—फेरस मेल्टिंग स्क्रैप का आयात—आयात-नीति 1978-79.

मिसिल सं. आई.पी.सी./6/7/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 22-आई.टी.सी.(पी.एन.)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अधीन प्रकाशित आयात-नीति 1978-79 के परिशिष्ट-3 की प्रविष्टि सं. 55 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार फेरस मेल्टिंग स्क्रैप, धातु कतरन व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है।

2. सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा जारी किए गए "अनापत्ति" प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी अनुज्ञप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक उक्त मद को सीधे आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयात लाइसेंस के लिए, अपने आयात आवेदन-पत्र सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा जारी किए गए "अनापत्ति" प्रमाणपत्र सहित, निर्धारित प्रपत्र एवं विधि से सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजें।

3. फेरस मैल्टिंग स्क्रैप (हैवी मैल्टिंग स्क्रैप से भिन्न) को आयात करने के लिए वर्तमान शुल्क रियायत की सुविधा 30-6-1979 तक उपलब्ध है। पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि अपने हित के लिए, अपने आयात आवेदनपत्र तत्काल ही सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेज दें ताकि वे उक्त रियायत को उपलब्ध कर सकें।

का. वें. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 6th March, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 16-ITC(PN)/79

Subject :—Import of ferrous melting scrap—Import Policy, 1978-79.

F. No. IPC/6/7/78.—Attention is invited to entry No. 55 in Appendix 8 of the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce, Public Notice No. 22-ITC(PN)/78, dated 3rd April, 1978, in terms of which import of ferrous melting scrap is canalised through the Metal Scrap Trade Corporation.

2. It has been decided to allow direct import of the aforesaid item by Actual Users upto 25 per cent of their licensed capacity, on production of 'no objection' certificate issued by the canalising agency. Eligible Actual Users are advised to submit their import application in the prescribed form and manner, to the licensing authority concerned for grant of import licences, along with the 'no objection' certificate issued by the canalising agency.

3. The current duty concessions for the import of ferrous melting scrap (other than heavy melting scrap) are available upto 30-6-1979. Eligible Actual Users are advised, in their own interest, to submit their import applications immediately to the licensing authorities concerned so as to avail themselves of the said concessions.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979